स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम :: चन्द्र मौली एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी।
2. संस्था का पूरा पता :: शाही निवास, कसया रोड पैडलेगंज, गोरखपुर।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उद्देश्य ::

1. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संस्था के माध्यम से हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, की शिक्षा प्राइमरी, जूनियरहाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर, एवं उच्च स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्ध करना, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में कन्या विद्यालयों की स्थापना करना।
2. शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालक एवं बालिकाओं को सच्चरित्र नागरिक बनाना।
3. समाज के पिछड़े,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामन्य वर्ग की महिलाओं हेतु प्रशिक्षण जैसे- कम्प्यूटर, हार्डवेयर,साफ्टवेयर, डी0टी0पी0 ,सिलाई, कढ़ाई,बुनाई, पेन्टिंग, फलसंरक्षण रेक्सीन कला,गृह सज्जा, आचार मुरब्बा, माचिस, फतल, अगरबत्ती, मसाला, ब्यूटी पार्लर की जानकारी देना।
4. खादी ग्रामोद्योग, खादी कमीशन बोर्ड, हथकरघा, हस्तशिल्प कला, कपड़ा उद्योग, रेक्सीन कला से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों की जानकारी देना, तथा समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान हेतु उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सफल बनाने का प्रयास करना।
5. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास हेतु स्वजल धारा पेयजल, नाली, सिवर की निःशुल्क व्यवस्था करना व मलिन बस्तियों की सफाई के कार्य में सहयोग करना व सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का संचालन करना तथा आवास बनवाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को निःशुल्क जानकारी प्रदान करना।
6. समस्त विश्व को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करना। नाट्यमंच व चलचित्र द्वारा लोगों को शिक्षा के बारे में निःशुल्क ज्ञान करवाना ।
7. समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा, शिक्षा गारन्टी योजना शिक्षा के कार्य क्रमों का प्रचार व प्रसार करना ।
8. संस्थान में प्राकृतिक,———शिक्षा की व्यवस्था करना जिसके माध्यम से अन्न जीविका निर्वाह की समस्या स्वतः समाधान कर सकें।
9. शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगों हेतु कल्याणकारी कार्यों को सम्पादन करना तथा इन लोगों के रहने के लिए निःशुल्क आश्रम बनवाना, तथा विशेषकर मूकबधिर/विकलांगों को प्रशिक्षित करने के लिए विद्यालय की स्थापना करना।
10. सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी देना।
11. विकलांग बालक एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करना।
12. संस्था के माध्यम से सामन्य, पिछड़ी जाति, अनुसुचित जनजाति व अल्पसंख्यक बालक/बालिकाओं के लिए शिक्षा/तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध करना।

3. कृषि विकास हेतु कृषि से समवन्धित पाठ्यक्रमों को संचालित , आधुनिकतम व विकसित तरीके से कृषि, दुग्ध विकास के क्षेत्र में जानकारी देना।

14. औषधि कार्यो के लिए जड़ी-बुटियों की ———————— जैविक खेती के बारे में लोगों को जानकारी देना।

15. कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु गन्ना की ऐसी प्रजातियों एवं पैदावार की तकनीकी उपलब्ध कराना, गन्ना कृषकों के स्तर के सर्वांगीण विकास के लिए सम्बन्धित विभाग की अनुमति से उसर भूमि सुधार करना।

16. परिवार कल्याण कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मंचों में व्यापक स्तर पर निःशुल्क संचालित करना टीकाकरण, जैसे पल्स पोलियो, हैपेटाइटिस, क्षय रोग एड्स कैंसर टी0वी0से रोकथाम के लिए प्रचार व प्रसार करना व जानकारी देना तथा निःशुल्क दवाओं का वितरण करना व प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना करना। तथा मानव कल्याण हेतु हर प्रकार की निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन निःशुल्क करना, व रेडक्रास सोसायटी की योजनाओं के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जनसाधारण को जानकारी मुहैया कराना तथा निःशुल्क चिकित्सालय व रक्तदान शिविर एवं नेत्रदान का आयोजन करना।

17 कृषि कार्य हेतु विशेषकर तिलहन व दलहन बोर्ड के कार्यो व कृषि बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नये वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रचार व प्रसार करना ।

18 समाज के लिए व्याप्त छूआछूत,ऊंच-नीच तथा जाति धर्म की विषमताको निर्मूल करने के लिए व्यापक प्रचार व प्रसार करना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देना।

19 शराब व मादक पदार्थो का नशा करने वालों की लत छुड़ाने के लिए सरकार के कार्यक्रमों के अनुसार कार्य करना और उन कार्यक्रमों को सफल बनाना।

20. पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए प्रदूषण को रोकने हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से वृक्षारोपण को बढ़ावा देना एवं इस पर शोध कार्य करना।

21. अस्वस्थ वातावरण में रहने वाले निराश्रित बच्चों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।

22. समाज के पिछड़े, अनुसुचित जाति, अनूसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग हेतु जैसे-टाइपिंग, कम्पयूटर डाटा प्रोसेसिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग,टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, बैटरी रिपेयरिंग,वायरमैन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, रेडियो, टेपिंग, लघु कुटीर, मोटर,वाइन्डिंग,टी0वी0, एयर कन्डीशनर की जानकारी देना तथा तकनीकी शिक्षा देकर लोगों को लाभ पहुंचाना।

23. जल संरक्षण, जलचक्र व जल संसाधन तथा स्वजलधारा से संबंधित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना। एवं जल प्रदूषण के खिलाफ गोष्ठि, शोध केन्द्रों की स्थापना करना।

24. नदियों में गन्दे नालों तथा कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसका संचालन सम्बन्धित विभागों की अनुमति से करना। छोटे पोखरे एवं तालाबो के सुन्दरीकरण के लिए कार्य करना।

25. दैवी आपदा बाढ़ भूकम्प, सूखा, हैजा, प्लेग जैसी विभिन्न बीमारियों, महामारी व विभिन्न कठिनाईयों में शासन व प्रशासन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन साधारण की हर तरह से सेवा करना।

26. संस्था के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विद्यालयों/महाविद्यालयों की स्थापना करना।

27. जानवरों के चारागाह हेतु भूमि प्राप्त करना तथा उसे संरक्षित करना ताकि जानवरों के प्राकृतिक रूप से चारागाह की व्यवस्था की जा सके।

28. मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाये जाने वाले समस्त योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना।

Naina

29. विश्वशांति व मानवता के लिए सेवा कार्य करना व उसको सफल बनाना ।
30. निर्धन तथा कमजोर वर्ग के बालक/बालिकाओं के लिए निःशुल्क छात्रावास तथा पुस्तकालय का निर्माण करना व उनके व्यवस्था का संचालन करना।
31. पिछड़ी जाति व अनुसूचित जाति- अनुजनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास की निःशुल्क व्यवस्था करना।
32. देश विदेश से आये विद्यार्थियों बौद्ध भिक्षुओं, व्यापारियों व किसानों के ठहरने हेतु धर्मशालाओं की व्यवस्था कराना व उसकी निःशुल्क व्यवस्था एवं संचालन करना।
33. बालिकाओं/महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु टेक्निकल शिक्षा की स्थापना करना व उसके माध्यम से उन्हें उस योग्य बनाना तथा, काष्ठो कला,ब्यूटी पार्लर की जानकारी देना ।
34. खेलों को बढ़ावा देना खेलों के प्रति गांवों एवं शहरों में अभिरुचि पैदा करने के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करना।
35. बेरोजगारी दूर करने की निमत से महिलाओं को अचार, मुरब्बा, बिस्कुट, नमकीन, केक, अगरबत्ती, माचिस, पतल, पापड़, जैम जैली बनाने का प्रशिक्षण दिलाकर स्वरोजगार की ओर अग्रसर कराना।
36. दहेज प्रथा, अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना।
37. बाल विकास व बाल चिकित्सा हेतु यूनिसेफ,आई0एस0ओ0,यूनेडो, सिडवी, नवार्ड, कपार्ट, यूनिकेम एवं अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर उन्हे से कन्धा मिलाकर योजनाओं का क्रियान्वयन करना एवं मानव संसाधन मंत्रालय से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों की जानकारी देना
38. फूलों एवं फलो की खेती तथा बागवानी बोर्ड से संबंधित जानकारी जन मानस तक पहुंचाना तथा उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।
39. विज्ञान एव प्रोद्योगिकी से संबंधित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना एंव विज्ञान भवनों की स्थापना करना।
विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना, विद्यालय आश्रम, पद्धति विद्यालय व आवासीय/अनावासीय विद्यालयों व शोध संस्थानों की स्थापना करना एवं निःशुल्क संचालन करना।
आम जनता के उपयोग के लिए धर्मार्थ कम्यूनिटी हाल, बरातघर, वृद्धाआश्रम, महिलाआश्रम, अनाथालय,, प्याऊ, वाचनालय, पुस्तकालय, धर्मार्थ डिस्पेन्सरी व निःशुल्क स्टूडियो रात्रि निवास, शार्ट स्टे होम मूक बधिर,कल्याण हेतु समस्त कार्यक्रमों का संचालन करना।
42. देशाटन द्वारा बच्चों का बौद्धिक विकास करना व सांस्कृतिक कार्यक्रमो का आयोजन करना। उपरोक्त कार्यक्रमों को संगीत एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से मनोरंजन के तरीके से प्रचार प्रसार करना, समाज को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना।
43. विभिन्न प्रकार के उत्सव,, प्रेस कान्फ्रेन्स तथा धार्मिक सामाजिक/सांस्कृतिक समारोहों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन करना।
44. बालिकाओं/महिलाओं से सम्बन्धित यौन प्रहार/आक्रमण, की रोकथाम हेतु युवतियों को आवश्यक जानकारी, देना अविवाहित ,माता, विधवा ,पारिवारिक हिंसा /दहेज प्रथा दहेज पीड़ित से मुक्ति दिलाने का प्रयास करना व गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी करवाना एवं सामूहिक विवाहों को करवाना ।
45. प्राकृतिक संशाधनों पर आधारित सामग्रियों का समुचित प्रबन्धन करते हुए पर्यावरण के अनुकूल जीवन पद्धति विकसित करना।
46. स्वंय सहायता समूहों का गठन करके रोजगार के अवसर की जानकारी कराना व स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना के तहत जानकारी देना, सरकार की रोजगार परक योजनाओं में सहायता में सहयोग करके शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों व नवयुवतियों को रोजगार की जानकारी प्रदान कराना।
47. वन सम्पदा के दोहन को रोकने को प्रोत्साहित करना व उनके औषधि पर्यावरणी गुणो की महत्ता को जनमानस तक पहुचाना व वृक्षारोपण की और प्रोत्साहित करना।

९

चन्द्रमौली एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी शाही निवास कसया रोड पैडलेगंज जनपद गोरखपुर की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष...2011–2012

क०सं०	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्री चन्द विजय प्रताप शाही पुत्र श्री चन्द्रमौली शाही	शाही निवास पैडलेगंज गोरखपुर	अध्यक्ष	वकालत
2	श्री विशाल शाही पुत्र श्री चन्द्र विजय प्रताप शाही	शाही निवास पैडलेगंज गोरखपुर	प्रबन्धक	समाजसेवी
3	समीक्षा सिंह पत्नी श्री सतीश सिंह	शाही निवास पैडलेगंज गोरखपुर	सचिव	गृहकार्य
4	श्रीमती प्रीती शाही पत्नी श्री विशाल शाही	शाही निवास पैडलेगंज गोरखपुर	कोषाध्यक्ष	"
5	श्रीमती नैना सिंह पत्नी श्री कुँ. कुशाल	शाही निवास पैडलेगंज गोरखपुर	सदस्य	"
6.	श्रीमती रंजनी पत्नी श्री चन्द्र विजय प्रताप शाही	शाही निवास पैडलेगंज गोरखपुर	सदस्य	"
7	श्रीमती रंजना सिंह पत्नी श्री करुणेश सिंह	2 ए. हजारी बाग गोरखपुर	सदसय	"

सत्य – प्रतिलिपि
07.1.12
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर
07/1/12

प्रतिलिपि कर्ता
मिलान कर्ता 07/1/12

नियमावली

1. संस्था का नाम :: चन्द्र मौली एजुकेशनल वेलफेयर सोसायटी।
2. संस्था का पूरा पता :: शाही निवास, कसया रोड पैडलेगंज गोरखपुर।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उद्देश्य–
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग:–

आजीवन सदस्य–जो व्यक्ति संस्था को एक बार 100001/– रूपेया नगद या इतने ही मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वह संस्था का आजीवन सदस्य माना जायेगा।

विशिष्ट सदस्य:– संस्था के प्रति हितैषी भाव रखने वाला सम्मानित व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर संस्था को वार्षिक सहायता देने वाला व्यक्ति संस्था का विशिष्ट सदस्य माना जायेगा ।

साधारण सदस्य:–जो व्यक्ति संस्था को वार्षिक 1001.00 नगद या उतने मूल्य की चल या अचल सम्पत्ति संस्था देगा वो संस्था का साधारण सदस्य माना जायेगा

5. सदस्यता की समाप्ति–
   1. मृत्यु होने पर ।
   2. पागल अथवा दिवालिया होने पर।
   3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
   4. त्याग पत्र या अविश्वास प्रस्ताव रखने पर पारित होने पर।
   5. संस्था के सम्पति का अपव्यय करने पर
   6. किसी न्यायलय में दण्डित होने पर।
   7. सदस्यता शुल्क न देने पर।
   8. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
   9. पद का दुरूपयोग एवं वित्तिय अनियमितता करने पर।
6. संस्था के अंग– अ– साधारण सभा ब–प्रबन्धकारिणी समिति।
7. साधारण सभा–
   - क– गठन– सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा ।
   - ख– बैठक– साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर कभी भी बुलाई जा सकती हैं ।
   - ग– सूचना–अवधि–

     साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जायेगी।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

घ– गणपूति–साधारण सभा की गणपूति कुल सदस्यों में से 2/3 होगा।

ड.– **वार्षिक अधिवेशन की तिथि–**

संस्था का वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में एक बार होगा।

च– **साधारण सभा के कर्तव्य–**

1. प्रबन्ध समिति का गठन करना।
2. प्रबन्ध समिति द्वारा किया गया गत वर्षों का आय–व्यय स्वीकृत करना तथा आगामी वर्ष के लिए व्यय की संस्तुति प्रदान करना ।
3. आय–व्यय निरीक्षण के लिए निरीक्षक की नियुक्ति करना ।
4. संस्था के पूर्ण अभिलेखों पर अधिकार रखना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति–

क– **गठन**– प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें 4 पदाधिकारी व 3 सदस्य होगें कुल संख्या 7 की होगी।

ख– **बैठक**– प्रबन्धकारिणी समिति के सामन्य बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक 24 घंटे पूर्व बुलाई जा सकती है।

ग– **सूचना–अवधि**– प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक की सूचना सभी पदाधिकारियों को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

घ– **गणपूर्ति**– प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।

ड.– **रिक्त स्थानों की पूर्ति**– किसी भी रिक्त स्थानों की साधारण सभा के सदस्य के 2/3 बहुमत के आधार पर की जायेगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य–

1. संस्था के हित में सभी प्रकार के प्रयत्न करना ।
2. संस्था की वार्षिक बजट तैयार करना ।
3. संस्था का वार्षिक रिर्पोट पास करना ।
4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, खादी ग्रामोद्योग/राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था, व्यक्ति/व्यक्तियों से चन्दा, दान,उपहार ऋण व अनुदान प्राप्त करना।

कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर 5 वर्ष का होगा।

10– प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

अध्यक्ष–

1. सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों को बुलाना अनुमोदन करना तथा उसको सुविधानुसार परिवर्तन करना।
3. बैठकों में शांति व्यवथा कायम रखना
4. किसी बैठक में अपना निर्णायक मत देना।
5. प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके सहमति से प्रबन्धक के सभी अधिकारों एवं कर्तव्यों को कार्यान्वित करना।

प्रबन्धक–

1. संस्था में मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
2. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं से चन्दा,दान ऋण, अनुदान प्राप्त करना
3. समस्त बिल एवं बाउचरों को चेक करना।
4. कार्यवाहियों को कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना।
5. समस्त मुकदमों की पैरवी करना।
6. सदस्यों से चन्दा लेना व उसकी रसीद काटकर दंने का अधिकार प्रबन्धक का होगा ।
7. समस्त अभिलेखों एवं प्रपत्रों को सुरक्षित रखना।
8. संस्था की और से सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
9. किसी भी बैठक में बराबर मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।
10. संस्था के लोगों की स्वंय जांच करना अथवा आवश्यकता पडने पर जांच कराने की व्यवस्था करना।
11. कर्मचारियों की पदोन्नति निष्कासन व निलम्बन सचिव के साथ मिलकर करना।
12. सामान्य मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।
13. संस्था के सदस्यों व पदाधिकारियों द्वारा अनैनितक कार्य किये जाने पर उन्हें दण्डित करना।
14. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय करना।
15. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कियान्वित करना।
16. संस्था की चल अचल सम्पत्तियों को खरीदना, बेचना, लीज पर देना, बन्धक रखना व अन्य किसी भी प्रकार से अहरण का कार्य करना।

सचिव–

1. प्रबन्धक द्वारा दिये गये कार्यो को करना और उसके द्वारा निर्देशित कार्यो में सहयोग करना।
2. सभी बैठकों की कार्यवाहियों को कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना।
3. समस्त अभिलेखों को चेक करना।

कोषाध्यक्ष–

1. संस्था के लिए धन एकत्रित करना।
2. संस्था के कोष को किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पो० आ० में संस्था के नाम से जमा करवाना।
3. संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।

C.V.P.Sholu...
Ranjini Naina

सहायक रजिस्ट्रार
सोसाइटीज तथा चिट्स

11. *संस्था के नियमों एंव विनियमों में संशोधन प्रकिया–*

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन 2/3 बहुमत से साधारण सभा की बैठक में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 12 के अनुसार किया जावेगा।

12. *संस्था का कोष–*

संस्था का समस्त कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से खोला जायेगा जिसके संचालन के लिए सचिव/प्रबन्धक का हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा।

13. *संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण {आडिट }*

संस्था के वर्ष भर के आय–व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडिटर द्वारा करवाया जायेगा।

14. *संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाहियों के संचालन का उत्तरदायित्व–*

अदालती कार्यवाही को संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्व होने वाले मुकदमें अपने जनपदीय न्यायालय में सुलझाये जायेगें एवं समस्त मुकदमों,वाद–प्रतिवादों की पैरवी प्रबन्धक के द्वारा किया जायेगा ।

15. *संस्था के अभिलेख–*

1.सदस्यता रजिस्टर 2.कार्यवाही रजिस्टर 3 सूचना रजिस्टर 4.स्टाक रजिस्टर 5 कैश बुकआदि।

16. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजि0 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक 03-11-2012

सत्यप्रतिलिपि

हस्ताक्षर–

C.V.P. Shahi

Ranjini

Naina

सत्य – प्रतिलिपि

सहायक ... रार

फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स

उ० प्र० गोरखपुर

18/12/12

प्रतिलिपि कर्ता

मिलान कर्ता

18/12/12

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA
CHANDRAMAULI EDUCATION
WELFARE SOCIETY
03/05/2006
Permanent Account Number
AAATC8815D
22052007